

2019/00 242

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 137/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
मूलीदेवी पत्नी स्व. श्री हरिशंकर जाति महाजन निवासी ग्राम पोंस्ट नायला, तहसील जमवारामगढ,
जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री इकबाल खान आर ए एस अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर जिला जयपुर ।
2. ग्राम पंचायत नायला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नायला तहसील जमवारामगढ ।
3. छाजूराम पुत्र श्री धन्नाराम जाति मीणा निवासी झरवालों की ढाणी, नायला, जमवारामगढ, जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर
के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 32/2018 ब उनवानी मूली देवी
बनाम विकास अधिकारी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में
स्थानान्तरण किये जाने जाने बाबत ।

उपस्थित:-

1. श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री पी.सी. भारती अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से ओर से ।

निर्णय

दिनांक 31.08.2019

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 32/2018 ब उनवानी मूली देवी बनाम विकास अधिकारी व
अन्य विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.
सी. प्रस्तुत किया गया था जिसकी बहस व लिखित बहस प्रार्थिया द्वारा दिनांक 5.9.2019 को
प्रस्तुत कर दी गई थी, जिसके पश्चात आगामी तारीख पेशी आदेश बाबत दिनांक 13.09.2019
नियत की गई। लेकिन उक्त प्रकरण में दिनांक 18.09.2019 तक आदेश नहीं किया गया तथा
अप्रार्थी संख्या 3 रोज अप्रार्थी संख्या 1 के यहां उपस्थित रहता है और प्रार्थिया के पुत्र जो कि
नियत तारीख पेशी पर उपस्थित हो रहा है को धमकी दी कि अप्रार्थी संख्या 3 की अप्रार्थी
संख्या 1 से सांठगांठ हो चुकी है और वह उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज करवा कर पत्रावली
का निस्तारण अपने पक्ष में करवा लेगा। जबकि गैर निगरानीकार अप्रार्थी संख्या 3 ने एक
निगरानी उक्त पट्टे की अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष पेश की गई है जिस पर कोई सुनवाई नहीं
की जा रही है। बार बार प्रार्थिया व उसके पुत्र द्वारा उक्त आदेश की सुनवाई बाबत निवेदन
करने पर भी आज दिनांक तक कोई आदेश नहीं बताया गया। दिनांक 18.09.2019 को जब
प्रार्थी का पुत्र न्यायालय में तारीख पेशी हेतु गया तो देखा की अप्रार्थी संख्या 3 अप्रार्थी संख्या




जिला कलक्टर
जयपुर

संख्या 1 के चैम्बर में बैठ कर उक्त पत्रावली का निस्तारण करवाने हेतु योजनाबद्ध है। इसलिए प्रार्थी को अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम से उक्त प्रकरण में न्याय की कोई उम्मीद नहीं है तथा प्रार्थी उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में ट्रान्सफर करवाना आवश्यक समझता है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुत्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुत्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त कलक्टर प्रथम जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पी.सी. भारती उपस्थित आये।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
5. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता की दलीलें सुनने एवं सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है अतिरिक्त कलक्टर प्रथम जयपुर के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुत्तकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
6. अतिरिक्त कलक्टर प्रथम जयपुर उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा अतिरिक्त कलक्टर प्रथम जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
8. निर्णय आज दिनांक 31-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।




(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर